संख्या- 28 /2024 / 154 /चार-2024-11 (बजट)/ 2018

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 11 जनवरी, 2024**

विषय- पं0 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में महायोगी गुरू श्री गोरक्षनाथ शोध पीठ के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3495/सं0नि0-6(136)/2018-19 दिनांक 05 जनवरी, 2024 के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या- 02 /2022 / 2469 /चार-2021-11 (बजट)/ 2018 दिनांक 05 जनवरी, 2022 द्वारा पं0 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में महायोगी गुरू श्री गोरक्षनाथ शोध पीठ के निर्माण हेतु जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित करते हुए रू0 1270.97 लाख (रूपये बारह करोड़ सत्तर लाख सत्तानवे हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। निविदा के अनुसार परियोजना की लागत रू0 1266.00 लाख आंकलित है। निविदानुसार परियोजना हेतु आंकलित लागत रू0 1266.00 लाख के सापेक्ष अद्यतन रू0 1212.40 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पं0 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में महायोगी गुरू श्री गोरक्षनाथ शोध पीठ के निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवशेष धनराशि रू0 53.60 लाख (रूपये तिरपन लाख साठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) शासनादेश संख्या- 144/ 2018/ 3843/ चार-2018- 11(बजट)/ 2018 दिनांक 28 नवम्बर 2018, शासनादेश संख्या- 58/ 2020/ 449/ चार-2020- 11(बजट)/ 2018 दिनांक 18 फरवरी, 2020, शासनादेश संख्या- 144/ 2020/ 1563/ चार-2020-11(बजट)/2018 दिनांक 06 नवम्बर 2020, शासनादेश संख्या- 40/ 2021/ 505/ चार-2021-11(बजट)/ 2018 दिनांक 10 मार्च, 2021 तथा शासनादेश संख्या- 02 /2022 / 2469 /चार-2021-11 (बजट)/ 2018 दिनांक 05 जनवरी, 2022 में उल्लिखित शर्ते यथावत रहेंगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) निदेशक, संस्कृति निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

3. उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 92- के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति- 800-अन्य व्यय- 43-पं0 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में निर्माण कार्य-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 28 /2024 / 154 (1) /चार-2024-11 (बजट)/ 2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. कुलपति, पं0 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5. वित्त नियंत्रयक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. उप निदेशक, राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर (नोडल आफिसर- संस्कृति)।
8. इकाई प्रभारी, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोरखपुर।
9. वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।